<u>रनिस्ट्री सं. डी.एल. 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.: 33002/99



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	77]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938	[स.स.स.क्षे.दि, सं. 22]
NÐ.	17	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938	[N.C.T.D. No. 22]

धाग—IV

PART---IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिराूचनः

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

फा.स. एफ.10(13)/पर्या0/2015/2878-2900.---पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च -यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशो का अनुपालन करते हुए. पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/6167-6189 दिनौंक 20.10 2015, अधिसूचना संख्या एफ10(13)/पर्या/2015/6345-6372 दिनौंक 30.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ 10(13)/पर्या/2015/7400-7422 दिनौंक 23.12.2015, संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/98-130 दिनौंक 05.01.2016 एवं एफ 10(13)/पर्या/2015/436-458 दिनौंक 21.01.2016, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/1049-1072 दिनौंक 15.02.2016 और अधिसूचना संख्या एफ 10 (13)/पर्या/2015/1610-1632 दिनौंक 04.03.2016 के अनुक्रम में तथा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की दिनौंक 10.03.2016 को बैठक के कार्यवृत्त, के निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्णय अधिसचित किए जाते हैं--

- घटना के तुरन्त बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष संख्या–100 पर टोल एकत्रकर्ता उल्लंघन करने वाले वाहन के गाडी संख्या को बताएगा, जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) लगाने वाले अधिसूचना का अनुपालन नहीं करता है।
- संबंधित थाने में टोल एकत्रकर्ता एक प्राथमिकि दर्ज कराएगा और पुलिस जल्द से जल्द उस पर उचित कार्यवाही करेगी।
- 3. यदि कोई वाहन ई.सी.सी. के बिना भुगतान/गैर गंतव्य दिल्ली के/2006 से पूर्व के पंजीकृत पाया जाता है तो, उस समय लागू पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। तीन बार से अधिक अनाधिकृत प्रवेश करने की अवस्था में वाहन को न्यूनतम एक माह की अवधि के लिए जब्त कर लिया जाएगा और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र नियंबित कर दिया जाएगा।

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

Ę

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

शहरी विकास विभाग आदेश

दिल्ली 26 अप्रैल, 2016

फा.सं. 13(73)/वि—डिफसि/एमबी/श0वि0/2016/643.—दिल्ली वित्तं आयोग अधिनियम, 1994 (1994 की दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 3 तथा मंत्री परिषद की सिफारिशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यहां 'आयोग'' के रूप में संदर्भित) के लिए निम्न पांचवा वित्त आयोग गठित करते हैं, जो 1 अप्रैल 2016 से शुरू करेगा और पॉच वित्त वर्षो 2016–21 की अवधि का अवलोकन करेगा और निम्न अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव इस आयोग में होंगे:--

(1) श्री सुधीर कृष्ण

2

4.

अध्यक्ष

(2) श्री के. आर. किशोर

सदस्य सचिव

- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिसूचना जारी करने की तिथि से 18 महीने तक कार्यमार संमालेंगे और 02 अतिरिक्त सदस्यों के नाम अलग से अधिसूचित किये जायेंगे।
- अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे। 3.
- आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा-
 - नियम जो भासित करें (ক)
 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संरुकार द्वारा वसूले जाने वाले कर, ड्यूटी तथा फीस की संकल आय को (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा निममों के बीच वितरण, जोकि दोनों के बीच वितरित किया जाना

है।

कर, इंयूटी, टोल तथा फीस का निर्धारण जोकि निगमों दिया जाना है। (ii)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से निगमों को सहायता अनुदान; तथा (iii)

- निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु उपाय। (ख)
- आयोग द्वारा सिफारिश करने के दौरान, आयोग दूसरी सिफारिशो के साथ अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगा:--5
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समग्र स्रोत स्थिति; ì.
- निगम प्रशासन में अर्थव्यवस्था के लिये स्कोप; ii
- निगमों द्वारा स्रोत मोबीलाइजेशन में सुधार के लिये अवसर; ili
- निगमों द्वारा कर हेतु किए गए प्रयास; i٧
- सृजित और इसके तहत सृजित होने वाले सहित पूंजीगत संपत्ति का पर्याप्त अनुरक्षण एवं रखरखाव;
- मार्च, 2016 के अंत तक प्लान स्कीम (उपलब्ध व्यय एवं मानदंड, जिसके आधार पर पूंजीगत संपत्ति के विभिन्न संवर्गों ٧ के अनुरक्षण के लिय उपलब्ध ऐसा ध्यय तथा ऐसे रखरखाद व्यय को मॉनीटर करने का तरीका दर्शाया जाएगा।) ٧İ
- प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए (उदाहरण के लिए ई--गवर्नेस) निगम निकायों की आवश्यकताएं तथा सर्विस के स्टैण्डर्ड को अपग्रेड करना (ऐसे व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जाए और इसकी मॉनीटरिंग कैसे की जाए, दर्शाया vii
- स्रोतो की उपलब्धता तथा विशेष रूप से ऐच्छिक कार्यों के संबंध में क्षमता की सीमा को ध्यान में रखते हुए निगमों को जाए)। б,
- सौंपे गए कार्य की आयोग द्वारा समीक्षा। आयोग 31 मार्च, 2015 को निगमों की ऋण स्थिति का आकलन भी करेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझ जाने वाले सुधारात्मक कदमों का सुझाव देगा। 7.

204029/16-5

आयोग विशेष मामले के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समेकित निवि में से दिल्ली छाननी कोर्ड को विस्ते इस्तांतरण पर सिफारिश भी कर सकता है। आयोग निग्न पहलुओं पर भी अवश्य ब्यान देना जोकि स्थानीय निकायों को दीवंकालीन मजबूती प्रदान करने के लि आवश्यक हैं : संपति खुजम एवं संपति प्रबंधन के बीच प्रमावी संबंध स्थापित करना ताकि न केवल सुफित संगठनात्मक सर्विस व उचित प्रकार से अनुष्क्षण हो सके बल्कि यह तन्वे समय तक कायम रहे:) सिविक सुख सुवियाओं के स्केलिंम की ढिलीवगी; निगम निकायों के आधारभूत क्रियकलाप में ई-गवर्नेस एस्कीकेशन का प्रारंभ, बंहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम: लेखाकरण सुखार, उबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण / लेखा परीक्षा को अदातन करना, तथा सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समय रूप से विरलेषण करेगी और कर को दर तथा गैर कर राजस्व के पुत्रियाण पर आधारित कुछ अनुपान अं आंतरितन खांत जुटान कं आधार पर वास्तविक प्रक्षेपण करेगा। 1. स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकतन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता पर आधारित होगा। व्य आवश्यकता का आकतन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच निन्ता प भी विधार किया जाला। 2. राष्ट्रीय राजधानी कोत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकतन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना कं अंतन राष्ट्रीय राजधानी केत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर आपस्त का साकतन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना कं अंतन राष्ट्रीय राजधानी केत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर राजस्व के डिस्ट की सिफारिश करने से पूर्व आयोग क्ष तिस्ती प्रकाय के त्रान्द्री सरकार का राजस्व का वा क्याना तवा गैर चोजन व्यय में के लेगन अपने राष्ट्रीय राजधानी देख देवसा कासायनमेंट के रूप पं कर राजस्व के हिस्टारिश करने से पूर्व आयोग को विरल्ती सरकार के तुन्द्री याजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानातारा ता गैर चोजन खान देव के से क्या के हो सकती है। 3. आयोग स्थानीय निकायों के वर्दागान गतिविथियों का भे अव्यय करेगा ता रा रे चोजन का हुछ का तथ्य भ्यांत सायो स्थानीय निकायों के वर्तान नात्तर सित्त अवतत्त मे देखना। 3. आयोग स्थानीय निकायों के व्या के आवर्ती एवं गैर आवर्त	8	DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY [Part IV
आयोग निम्न पहलूओं पर भी अवस्य ब्यान. देगा जोकि स्थानीय निकायों को दीर्घकालीन मजबूती प्रदान करने के ति आवस्यक हैं – संपति युजम परं संपति प्रबंधन के बीच प्रमादी संबंध स्थापित करना ताकि न केवल जुजित संगठनालक सर्विस व जवित प्रकार से अनुरक्षण हो सके बल्कि यह लम्बे समय तक कायम रहे: i) सिविक सुख सुविधाओं के स्वेलिंग की डिलीवरी; iनेगन निकायों के आधारमूत क्रियाकलाप में ई-गवर्नेस एस्लीकेशन का प्रारंग; बंहतर दिसीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; v) बंहतर दिसीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; i) लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनान तथा लेखाकरण/ लेखा परीक्षा को अद्यतन करन, तथा सुध्यदस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदाशे तथा इसका विकास। 0. आयोग प्रथम दृष्टया में ता 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के ऑलरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समय रूप से दिरलेषण करंगी और कर की दर तथा मैर कर राजस्व के पुनरोक्षण पर आधारित हुछ अनुपान अं आंतीरेक्त खोत जुटाने के आधार पर वास्तावेक प्रक्षेप करेगा। 1. स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वासतविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आधारित होगा। व्य आवस्यकता का आकलन करांगे और कर सी दर तथा मैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित होगा। व्य आवस्यकता का आकलन करांगे देतान वित्तीय क्षमता और आवस्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच मिन्मत प भी वियार किया जाए। 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ती सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन एंट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ता सरकार के याय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन एंट्रीय तिकाय को यस्ति प्रकार के याय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और ने कार का पर योजना के अंतन एंट्रीय सिकाय को बेसिक टेक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के डिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयत्त प्रत्त त्र देन्स आतायता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तनान पासिवियों का भी अत्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थत प्र धित्यता क्यानीय तिकाय के वर्तनान पासिवियियों का भी अत्यवन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थर प्र ते सकता है। आयोग स्थानीय निकायो की वर्तनान के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के या के पुख्य घटकों में दलता तथा मिय्यता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंच अनुकुलता के लिए अवसन मी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट		आयोग विशेष मामले के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समेकित निधि में से दिल्ली छावनी बोर्ड को वित्त
 आवरथक हैं संपति युद्धन एवं संयति प्रश्वन के बीच प्रश्वायी संबंध स्थापित करना ताकि न केवल सुफित संगठनालक सर्विस व उवित प्रकार से अनुरक्षण हो सके बल्कि यह लबे समय तक कायम रहे. तिविक सुख सुविपाओं के स्केलिंग की डिलीवरी; निंगन निकायों के आधारभूत क्रियाकलाप में ई-गवर्गेस एसीकेशन का प्रारंग; बेहतर दिसीय प्रबंघन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; लेखाकरण सुघार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनानत तथा लेखाकरण / लेखा परीक्षा को अधतन करना, तथा सुयवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम वृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व लाग्र रूप से विरलेषण करेगी और कर की दर सथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुमान अं आंतरिक स्थात जुदान के आधार पर वासावेक प्रक्षेण करेगा। त्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वारतविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आवारित हुए अनुमान प्र भी विवार किया का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीध मिन्नता प्र मी विवार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी संत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना कं अंतन राष्ट्रीय राजधानी संत्र दिल्ली सरकार के याय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी संत्र दिल्ली सरकार के याय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना कं अंतन राष्ट्रीय राजधानी संत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना कं अंतन राष्ट्रीय राजधानी संत्र दिल्ती सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन राष्ट्रीय स्थान को बेसिक टेक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के डिफल व्या योजन व्या येने के लेगर व्य आकलन हेतु व्यायक पहल की आवरककता है। आयोग त्याति स्वाच हित्र सरकार के राख्तकरता है। आयोग त्यातिय स्थाक पहल के आवरक्ता है। आयोग त्याति स्थाती हेत्र दिल्ली सरकार को राखतर्ती मंदों के व्या के मुख्य है जितसे इनके व्याय में क हो सकती है। आयोग त्यानी निकायों में व्या के आवर्ती एव गैर आवर्ती मदों के या के मुखतर्त के संच हो प्रत्		हस्तांतरण पर सिफारिश भी कर सकता है।
 संपत्ति युजम एवं संपति प्रबंधन के बीच प्रमावी संबंध स्थापित करना ताकि न केवल शुक्ति संगठनात्मक संविंस व उचित प्रकार से अनुरक्षण हो सके बरिक यह लम्बे समय तक कायम रहे: तिविक सुख सुविधाओं के स्केलिंग की डिलीवरी; नेगम निकायों के आधारभूत क्रियाकलाप में ई-गवर्गेस एसीकेशन का प्रारंभ; बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण / लेखा परीक्षा को अद्यतन करना, तथा सुयवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में तता 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आत्तरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समय रूप से विरलेषण करंगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित हुछ अनुणान अं आतीरेक्त स्थांत जुटाने के आधार पर वास्तावेक प्रक्षेण करंगा। आयोग प्रथम दृष्टया में तता 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समय रूप से विरलेषण करंगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित हुछ अनुणान अं आतीरेक्त स्थांत जुटाने के आधार पर वास्तावेक प्रक्षेण करंगा। त्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवरयकता घर आचारित होगा। व्य आवरयकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच मिन्नता प भी वियार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर प्रमना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्ग पंत्री दिवाय का प्रसत्व करना। स्थानीय निकाय के बेसिक टेक्स असायनमेंट के रूप मे कर राजस्व के डिस्से की सिफारिश करने मे पूर्व अयलन क्षेत्र पंत्री निवेश क राष्ट्रीय शत्वानी क्षेत्र दिल्ली सरकार हे। आयोग स्थानीय त्रिविय राष्ट्रीय शत्या ही। आयोग स्थानीय तिवायों के वित्तन पालिविधियों का भे आव्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कु छ लर्द अर्थन प्र सरकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यव के मुख्य घटकों में दक्तत तथा में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यव के मुख्य घटनों में दसतत तथा मिष्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबच अनुक		आयोग निम्न पहलूओं पर भी अवश्य ध्यान देगा जोकि स्थानीय निकायों को दीर्घकालीन मजबूती प्रदान करने के लि
 उचित प्रकार से अनुरक्षण हो सके बल्कि यह लखे समय तक कायम रहे: सिविक सुख सुविघाओं के स्कोलिंग की डिलीवरी; निगम निकायों के आयारभूत क्रियाकलाप में ई-गवर्नेस एप्लीकेशन का प्रारंग; बेहतर दित्तीय प्रबंघन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण / लेखा परीक्षा को अद्यतन करना, तथा सुयवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समय रूप से विरलेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित हुए अनुगान अं आंतरिक्त स्रोत जुटाने के आधार पर वास्तावेक प्रक्षण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आधारित होगा। व्य आवरयकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवरयकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीध मिन्तत प भी विधार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपमा आंकलन भी प्रस्तुस करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपमा आंकलन भी प्रस्तुस करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपमा आंकलन भी प्रस्तुस करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपमा आंकलन भी प्रस्तुस करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपमा आंकलन भी प्रस्तुस करेगी और गैर योजना के अंतन प्रक्ती देश प्रसाय कजना। स्थानीय निकाय को वसिक टेक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिश्से की सिफरिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानातरित किए जा सकत है जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय राक्यमों के वर्तमान गति सिक्यों का भी अव्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात स्था के समतत्त है। अयेत ये सचतती है। आयोग अपनी रियोट मे यह भी पक्राएगा कि वह अपने भिष्कर्य पर कैसे पहुंचा है और जहां तक समव हो प्रत्येक पे निकाय के लिए अलग से तथ्य के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के पद्य के प्रे स्वरिय यही कि लाय का लाक्यन /		आवश्यक हैं :
 सिविक सुख सुविधाओं के स्केलिंग की डिलीवरी; निगम निकायों के आधारभूत क्रियाकलाप में ईगवर्नेस एप्लीकेशन का प्रारंभ; बेहतर विसीय प्रबंघन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण / लेखा परीक्षा को अदातन करना, तथा सुव्यदस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ईखरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षे के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति क समय रूप से विश्लेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित हुए अनुगान अ आंतरिक्त स्रांत जुटान के आधार पर वास्तावेक प्रक्षण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आधारित होगा। व्य आवरयकता का आकलन करमे के दीसन वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीघ मिन्तत प मी विधार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलत भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व मरा जास्य वे बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन प्रत्नी निवेश को देसिक देवस असायनमंट के रूप में कर राजस्व के हिश्स की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के एष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानातिति किए जा सकत है जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय राजधां संत्र दिल्ली स्रकार को स्थानातिति किए जा सकत है जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दक्षिएगा कि वह अपने निध्वर्य पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक प निकाय के लिए अलग से तथ्य की आवर्ती एवं गैर आवर्य पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव ही प्रत्येक प निकाय के लिए अलग से तथ्य समी जिनग		संपत्ति सृजन एवं संपत्ति प्रबंघन के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करना ताकि न केवल सृजित संगठनात्मक सर्विस
 तिगम निकायों के आधारमूत क्रियाकलाप में ईगवर्नेस एप्लीकेशन का प्रारंभ; बेहतर वित्तीय प्रबंघन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; लेखाकरण सुप्राए. डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण / तेखा परीक्षा को अग्रतन करना, तथा सुयादस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ईखरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समग्र रूप से विरलेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुगान अं आंतरिक्त स्रात जुटाने के आधार पर वास्तविक प्रक्षेपण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता पर आधारित होगा। व्य आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीघ निन्नता प भी विद्यार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्ग पंछ्ती विवेश का प्रस्ताव कण्ना। स्थानीय निकायों को वरिल्ली सरकार कर राजस्व में वादर्नमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतर्ग पंछ्ती विवेश का प्रस्ताव कण्ना। स्थानीय निकाय को बेसिक टेक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा पिल्ली सरकार के एष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर दोजना व्यय योजना के अंतर्ग पंछी विवेश का प्रस्ताव कण्ना। स्थानीय निकाय को बेसिक टेक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा पिल्ली सरकार के एष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर दोजना व्यय योनों को लेगर अप आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीयि वाकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात प्रम अस्पतात इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानातिसि किए जा सकते है जिससे इनक व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों मे व्यय के आवर्ती एव गैर आवर्ती मदौं के व्यय के मुख्य प्रेर कों दक्षता तथा मिय्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंचन अनुकुल्ला के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट मे यह भी दर्शाएगा कि वह अपने रिक्रिय	•	उचित प्रकार से अनुरक्षण हो सके बल्कि यह लम्बे समय तक कायम रहे.
 भेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम: लेखाकरण सुधार. डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण / लेखा परीक्षा को अधतन करना, तथा सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए इं-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति क समग्र रूप से विश्तेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुगान औं आतीरिंक्त सांत जुटाने के आधार पर घास्तावेक प्रक्षेपण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आयारित होगा। व्य आवश्यकता का आकलन करणे के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीध मिन्तता प भी विद्यार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्ग एंट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्ग एंट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्ग पूजी निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकायों के बेसिक टैक्स असायनमंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग का दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजन व्यय योजन की तेवर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गत्तिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थामांतरित किए जा सकत है जिससे इनक व्यय में क हो सकती है। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्क पर के संख के सद्वे पर कैस सहेत सिक्य के संवत से प्रत्यक दे निकाय के लिए जलन से तथ्य सभी विरार के करा मी दिखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निकार के सिय के लिं तिकार क लिए अनन / अपने र निकाय के लिए जलन से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्रिय वर्ष की अवधि पर अपने रिपोर्ट कमीशन तर्शाएगा।)	सिविक सुख सुविधाओं के स्केलिंग की डिलीवरी:
 लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण / लेखा परीक्षा को अग्रतन करना, तथा सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति क समय रूप से विरलेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुगान औ आंतरिक्त खात जुटाने के आधार पर वास्तविक प्रक्षेपण करेगा। रखानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आधारित होगा। व्य आवरयकता का आकलन करने के दौरान विसीध क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच मिन्तत प भी विचार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार क राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार क राजस्व पर उपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन पंछती निवेश का प्रस्ताव कण्ना। स्थानीय निकाय के बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजन ज्यय पर योजना के तेतन यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवस्थकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तनान गतिबिधियों का भी अध्यवन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्र संसतता हत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानातरित किए जा सकत है जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यव के आवर्ती एवं मेर आयती निय के व्यव के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्यवता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकुलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दश्राएगा कि वह अपने निष्कर्य पर्क से चहे जो अर्यतरण का	i)	निगम निकायों के आधारभूत क्रियाकलाप में ईगवर्नेस एप्लीकेशन का प्रारंभ
 सुव्यदस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समग्र रूप से विरलेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीप्तण पर आधारित कुछ अनुगान औं आंतरिक्त सांत जुटाने के आधार पर वास्तावेक प्रक्षेपण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता पर आधारित होगा। व्य आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीध मिन्तत प भी विधार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व पर जफर व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा विल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली सरकार में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा विल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना कड़ कार्य अर्थत प्र आयंग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अच्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात प्र अत्यान इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकत है जिससे इनकं व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यव के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के खा के सहत सोहा तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंचन अनुकुलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर पर कैसे पहुंचा है और जहा तक संमव हो प्रत्येक र निकाय के लिए अलग से तथ्य सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति वर्ष की अववि पर	<i>י</i>)	बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम;
 भुव्यदस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई-खरीदारी तथा इसका विकास। आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समय रूप से विरलेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुगान जै आंतीरेक्त स्रांत जुटाने के आधार पर वास्तांवेक प्रक्षेपण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आधारित होगा। व्य आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीघ मिन्तता प भी विधार किया जाए। राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर उपनत्त तथा निर्वत्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन पंत्री निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय में के ते तेन व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवरयकता है। आयोग स्थानीय निकायों को वर्तमान गसिविधियों का भी अच्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थति प्र सेयतती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मरों के व्यय के मुख्या हि जिससे इनकं व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय विकायों में व्यह की आवर्ती एवं गैर खेलगा। आयोग अपनी रिपोर्ट मे यह भी दर्शाएगा के तह अपने निष्कर्य पर कैसे पहुंचा है और जहा तक संमय हो प्रत्येक र निकाय के लिए जलना से तथा समी निगमों के लिए खवसर भी देखेगा।<td></td><td>लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण ⁄ लेखा परीक्षा को अद्यतन करना, तथा</td>		लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण ⁄ लेखा परीक्षा को अद्यतन करना, तथा
आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाहा राजस्व की स्थिति व समग्र रूप से विरलेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुगान अं आंतेरिंक्त सांत जुटाने के आधार पर वास्तविक प्रक्षेपण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता पर आधारित होगा। व्य आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच मिन्नता प भी विद्यार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से नियटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से नियटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से नियटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से नियटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से नियटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय योजन व्यय योग का लेगर थ्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान पत्तिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थामांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन जनुकुलता के लिए अवसर मी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह मी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहा तक संमव हो प्रत्येक पं निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्रापित एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त नरों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		सुव्यदस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ईखरीदारी तथा इसका विकास।
समग्र रूप से विश्लेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कृष्ठ अनुगान औ आंतेरित स्रोत जुटाने के आधार पर वास्ताविक प्रक्षेपण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवरयकता पर आधारित होगा। व्य आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीघ मिन्तत प भी विद्यार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार क राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिरसे की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय नेनों को लेगन व्यय आकतन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंघन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्ठर्भ पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक पे निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सावतरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्योक उपसंक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		
आंतेरिक्त सात जुटान के आधार पर वास्तविक प्रक्षेपण करेगा। स्थानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता भर आयारित होगा। व्य आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीध मिन्तता प मी विद्यार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन पंछ्री निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय योनों को लेकर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मर्यो के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर मी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संभव हो प्रत्येक प् निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सांवतरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंग कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कंमीशन		
आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच मिन्नता प भी विधार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतर्ग पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय प्रेनों को लेकर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अच्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आवोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएमा कि वह अपने निष्ठर्थ पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक रे निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएमा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंग कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कंमीशन		•
भी विद्यार किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतर्ग पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय दोनों को लेकर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह मी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक प निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सोवतरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंग कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कंमीशन		रश्यानीय निकायों का व्यय एव राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता पर आवारित होगा। व
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुल करेगी और गैर योजना के अंतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतन पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हो दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर वोजना व्यय चेनों को लेगर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अच्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में वर्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संभव हो प्रत्येक र निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सांवतरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच भिन्नतः
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतर्ग पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग हा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय दोनों को लेकर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गत्तिविधियों का भो अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंघन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह मी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक रे निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सावसरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		भी विचार किया जाए।
पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना। स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग झा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय जेनों को लेकर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक प निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंत
स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग झा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय दोनों को लेकर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थामांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती नदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह मी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक रे निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मर्दो 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तनान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंत
दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय जेनों को लेकर व्यय आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सुरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक प निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कंमीशत		पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना ।
आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है। आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्ररकार को स्थानांतरित किए जा सकत हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती नदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुक्टूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह मी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक रे निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सावतरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपसेक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग ह
आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमु अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संरकार को स्थानांतरित किए जा सकत हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती नदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह मी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक पं निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपसेक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय प्रोनों को लेकर व्यय
अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संरकार को स्थामांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में क हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक प निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सावतरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपसेक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		•
हो सकती है। आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर मी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह मी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक र निकाय के लिए अलग से तथा समी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सांवतरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपसेक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		
आयोग स्थानीय निकार्यों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक र निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		
साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक र निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		
आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संमव हो प्रत्येक र निकाय के लिए अलग से तथा समी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपसेक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		-
निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सांवतरण का आकलन⁄अनुमोदन दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपसेक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		
दर्शाएगा। आयोग प्रत्येक उपसेक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		
आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन		
		•
गठन को अधिसंचना की तिथि के 18 महीने के अदर तक उपलब्ध करें।ऐगा।	•	
		गठन की अधिसूचना की तिथि के 18 महीने के अंदर तक उपलब्ध कराएगा।

2

के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेशों हारा

संजीव मनकोटिया, उप-सचिव

t

λ,

÷

PART	IV

5.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

ORDER

Delhi, the 26th April, 2016

F.NO.13/73/V-DFC/MB/UD/2016/643 .--- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Dethi Finance Commission Act, 1994 (Delhi Act 10 of 1994) and on the recommendation of the council of Ministers, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, constitutes the Fifth Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi to cover the five financial years period 2016-2021 commencing from 1st April, 2016 (herein referred to as "the Commission"). The commission shall comprise of the following as Chairman and Member Secretary:-

1. Shri Sudhir Krishna

Chairman Member Secretary

2. Shri K.R. Kishore

The name of the other two members shall be notified separately by the Government. The Chairman and Members of the Commission shall hold office for the period of 18 months commencing 2. from the date of issue of notification constituting the Commission.

The Chairman and Member Secretary shall render full time service.

3. The Commission shall review the financial position of the Municipalities and make recommendations as to 4.

the principles which should govern (a)

- the distribution between the Government of National Capital Territory of Delhi and the Municipalities of the net proceeds of the taxes. duties, tolls and fees leviable by the (i)government of National Capital Territory of Deihi which may be divided between them,
- the determination of the taxes, duties, toils and fees which may be assigned to the (ii) Municipalities.
- the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the National Capital (iii) Territory of Delhi, and
- the measures needed to improve the financial position of the Manicipalities.

In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to -

the overall resource position of the Government of National Capital Territory of Delhi;

- i. the scope for economy in the municipal administration;
- ii. the scope for improvement in resource mobilization by the Municipalities;
- iii. tax effort made by the Municipalities;
- adequate maintenance and upkeep of capital assets including those created or likely to be created iv. ٧.
- the Plan schemes till the end of March, 2016 (the expenditure provided therefor and the norms, if any, on the basis of which such expenditure is provided for maintenance of different categories of capital vî. assets and the manner in which such maintenance expenditure could be monitored may be indicated),
- the requirements of the Municipal bodies for modernization of administration (for example egovernance) and upgrading the standards of services (the details for such expenditure provided for vii. and manner in which this could be monitored may be indicated).

The Commission may Review the functions assigned to Municipalities keeping in view the availability of resources, and the limitation of capacity especially with regard to the discretionary functions. 6.

The Commission may make an assessment of the debt position of Municipalities as on 31" March, 2016 and suggest such corrective measures as deemed necessary, keeping in view the financial requirements of the Government of National Capital Territory of Delhi.

The Commission may make recommendations on the financial devolution to the Delhi Cantonment Board out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, as a special case.

The Commission must also focus on the following aspects which are essential for the long term strengthening 9.

- securing effective linkages between asset creation and asset management, so that infrastructural services of the local bodies:created are not only maintained effectively but also become self-sustaining over time; i.
 - scaling of delivery of civic amenities;
 - Introduction of e-governance applications in core functions of municipal bodies: ii.
 - iii. Capacity building programmes for better financial management;
 - Accounting reforms, adoption of double entry system and up-to-date accounting / audit system; and iv.
 - and development of a well organized administrative system. ν.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

[PART JV]

10. The Commission may in the first instance thoroughly analyze the Internal and External Revenue position of the local bodies for the last 10 to 15 years and then make realistic projections on the basis of some assumptions and Additional Resources Mobilization based on revision of rates of tax and non-tax revenue.

11. The expenditures and revenues of local bodies to be assessed based on actual and normative expenditure needs. While assessing expenditure needs the differences among the local bodies in fiscal capacity and expenditure need may also be considered.

12. The GNCTD will also furnish their projections of Tax revenue and proposed capital investment under Plan on outgoing works and new works after meeting the expenses of GNCTD under Non-Plan.

13. A comprehensive approach to the assessment of expenditure needs by taking both Plan and non-Plan expenditure of GNCTD may be adopted by the Commission before recommending the outgo of Tax revenue in the form of BTA to local bodies.

14. The Commission may also study the present activities of local bodies and see whether some of their functions i.e. Major Hospitals etc. can be transferred to GNCTD which may reduce their expenditure.

15. The Commission may also look into the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in major components of recurring and nonrecurring items of expenditure of local bodies.

16. The Commission shall also indicate in its report the basis on which it has arrived its findings and indicate, as far as possible, the estimates/forecasts of receipts and disbursements for all the Municipalities together as well as separately for each of such bodies.

17. The Commission shall submit its report within 18 months from the date of issue of notification constituting the Commission on each of the matters aforesaid and covering a period of five financial years starting from April 1, 2016.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi

SANJEEV MANKOTIA, Dy. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सं. फो. 16(507) / शा0वि0 / डब्ल्यू / 2015 / 596. – दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शावेतयों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 12.2.2015 के आदेषों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 08.05.2015 के पत्र संठ 3 / 24(3) / 2015--आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 26.11.1981 की अधिसूचना संख्या फा0 09 / 30 / 81--एलएसजी / 7797 द्वारा अधिसूचित कैमिस्ट मर्ती तथा पदोन्नति विनियमां के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें था हटाई जाने वाली बातों का छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में कैमिस्ट क पद का मन्नी पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाषित किए जाते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड कैमिस्ट के यद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमानः -- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं -- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति

20

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

11

PART [V]

DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY

शत यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :-- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रमाव नहीं डालेगी।

1.	पदनाम ,	1.	केमिस्ट
2	पदों की संख्या	†:	20 (2015)
	-		इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	1:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	वेंशन समूह-2 में 9300-34800 / -रुपये (ग्रेंड पे
		ŀ	4800 / - रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन घट		चगन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु	:	लागू नहीं
- <u>-</u>	सीमा		· ·
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपीक्षित	: -	लागू नहीं
	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ		
			·
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एव	1	लागू नही
	शीक्षक योग्यता पदोन्नति के मामले में मी		
L	लागू होगी।		
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या	:	पदोन्नति द्वारा
	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा	;	
	विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त		
1 -	पदों का प्रतिशत	} .	
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन	:	पर्दान्नतिः—
	द्वारा मर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति	·	
	/ प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है		दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित
	3 • • • • • • • • • •		4600 / रुपये ग्रेड पे सहित 9300-34800 / रुपये पे
			न्छटे रे सहायक कैमिस्ट।
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		दीपः- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता
			सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है।
1			उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होगे
1		ļ	बंशते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी
			अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आघे से न्यून या
	·		दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर
			पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ
		·	अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पुरी कर ली हो. जिन्होंने
			(कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही परी कर
			ली है।
			टीप:- पदोल्वति के लिये न्यूनतम अर्हक संय। की गणना के
			प्रयोजन के लिय 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा
			नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छटे केन्द्रीय
			वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन
			संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की
	· · · · ·		संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
			יא איז איז איז איז איז איז איז איז איז א

अनुसूची

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

12.	यदि कोई विमागीय पदोन्नति समिति हो तौ इसकी संरचना क्या है?		"ख" वर्गीय विमागीय पद्योन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सदस्य (ए) -अच्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) – सदस्य 3. निदेशक शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें मर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2016

No.16(507)/UD/W/2015/596.— The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act. 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 12.02.2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(3)/2015-RR dated 08.05.2015 and in supersession of the Chemist recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F. 9/30/81-LSG/7797 dated 26.11.1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Regulations for recruitment to the post of Chemist in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

- Short title and commencement These Regulations may be called the Chemist in Delhi Jar Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.
- Number of posts, Classification and scale of pay The number of posts, their classification and pay Band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disgualifications No person, -
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

- 5. Power to Relax Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

22

))

[PART IV]

DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-	Age limit for direct recruits.
l. Chemist	2. 20 (2015) Subject to variation dependent on workload.	3. Category 'B'	4. Pay Band-2, Rs. 9300- 34800 with Grade Pay of Rs. 4800/-	Selection post 5. Selection	

Educational & other qualification required for direct recruits."	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Commission exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Promotion:-	12.	13.
Assistant Chemist in PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- with 2 years' regular service in the grade and have undergone one weeks training from Delhi jal Board Training Institute. <u>Note :-</u> Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6 th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	Category 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): I.Member(A) - Chairman 2.Director -Member (A&P) 3.Director Treatment & Quality Control -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of Government of National Capital Territory of Dethi R.C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

PART IV]